पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक!

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

एआरएमबी पटना पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी मंजिल चाणक्य टावर, आर ब्लॉक, पटना- 800001

ई-मेल:- cs8297@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / बंधक है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक /सांकेतिक कब्जा पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) से **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को ''जैसा है जहाँ है'' ''जैसा है जो है'' एवं ''वहां जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिए तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में संपत्ति के सामने वर्णित है।

सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची

ई-नीलामी की तिथि दिनांक 24.08.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम:- दिनांक 23.08.2026 को शाम 5:00 बजे तक)

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम (बी) खाते का नाम (सी) खाता संख्या (डी) बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्तियों/बंधक प्रतिभूतियों का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि (बी) 13(2) सूचना की तिथि तक बकाया राशि (सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/रचनात्मक	(ए) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित ऋण-दाताओं को ज्ञात भारों का विवरण
1.	**ए) शाखा- अनीशाबाद (605900)** **बी) मेसर्स मनोराज फूड्स बेवरेजेज प्रा. लि.** **सी) खाता संख्या-** 6059008700000265 605900AF00000016 605900JY00000029 **डी)** श्री राजीव रंजन एवं श्रीमती सुनीता शर्मा पति श्री राजीव रंजन	1) कारखाने और भूमि का ईएम जो मौजा-निसारपुरा, थाना संख्या-177, थाना कोड- 059 और को-नौबतपुर, सब-रजिस्ट्री ऑफिस- बिक्रम, जिला-पटना, वार्ड संख्या-09, तौजी संख्या-हाल बिहार सरकार में स्थित है **क्षेत्रफल- 2.25 डेसिमल सेल डीड संख्या-5976, दिनांक 05.10.2020 के अनुसार**, खाता संख्या-78 खेसरा संख्या-1855, **चौहद्दी: उत्तर**- सर्वे प्लॉट संख्या 1852, **दक्षिण**- 20 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्व**- सर्वे प्लॉट संख्या 1855 का हिस्सा, **पश्चिम**- सर्वे प्लॉट संख्या 1856	(ए) दिनांक 14.01.2025 (बी) रू. 1,37,82,148.81/- साथ में आगे का ब्याज और अन्य शुल्क (सी) दिनांक 07.04.2025 (डी) प्रतीकात्मक	(ए) रू. 82,00,000/- (बी) रू. 8,20,000/- (सी) रू. 50,000/-	दिनांक 24.08.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

क्षेत्रफल- 6.375 डेसिमल सेल डीड संख्या-5977, दिनांक 05.10.2020 के अनुसार, खाता संख्या 78, खेसरा संख्या 1855, **चौहद्दी: उत्तर**- सर्वे प्लॉट संख्या 1852, **दक्षिण**- 20 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्व**- सर्वे प्लॉट संख्या 1854, **पश्चिम**- सर्वे प्लॉट संख्या 1855 का हिस्सा

क्षेत्रफल- 7.692 डेसिमल सेल डीड संख्या 5977, दिनांक 05.10.2020 के अनुसार, खाता संख्या 106, खेसरा संख्या 1854, **चौहद्दी: उत्तर**- सर्वे प्लॉट संख्या 1853 और 1852, **दक्षिण**- 20 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्व**- 20 फीट चौड़ा रास्ता, **पश्चिम**- सर्वे प्लॉट संख्या 1855 का हिस्सा

ये दोनों श्री राजीव रंजन और श्रीमती सुनीता शर्मा से संबंधित हैं। **कुल क्षेत्रफल-** 2.25+6.375+7.692 = 16.317 डेसिमल

ध्यान दें:- ऊपर बताई गई अचल संपत्ति और प्लांट व मशीनरी (जो ऊपर बताई गई अचल संपत्ति पर लगी हुई है) को एक साथ बेचा जाएगा। इच्छुक बोली लगाने वाले को अचल संपत्ति और प्लांट व मशीनरी, दोनों के लिए बोली लगानी होगी।

- **SARFAESI कार्रवाई के संबंध में सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात कानूनी मामला: Ld- DRT, पटना के समक्ष SA161/2025**

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई-नीलामी'' पोर्टल http://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (http://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। ई-केवाईसी की प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से की जानी है। ई-केवाईसी हो जाने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार पोर्टल में ई-नीलामी तिथि और समय से पहले ऑनलाइन/चालान मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को अपने ई-वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई-केवाईसी का सत्यापन, वॉलेट में ईएमडी का स्थानांतरण और वॉलेट राशि को संपत्ति से जोड़ने की प्रक्रिया नीलामी से पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए।
3. ऊपर उल्लिखित बयाना राशि (ईएमडी) ऑनलाइन/चालान मोड में जमा की जाएगी और बोलीदाताओं के ई-वॉलेट में जमा की जाएगी। आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
4. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म http://baanknet.com ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला पूर्व, मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नंबर +91 8291220220, ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com) में है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट http://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
5. बिक्री की सामान्य नियम व शर्तों से युक्त बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है।
(1) http://baanknet.com
(2) www.pnbindia.in
6. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी पोर्टल (http://baanknet.com) से इस ई-नीलामी से संबंधित बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम व शर्तें, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका की प्रतियां नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
7. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई-वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (ईएमडी राशि से अधिक) होनी चाहिए।
8. ई-नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को अंतिम बोली के अतिरिक्त परस्पर बोली में उच्चतर बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोलीदाताओं को लगातार उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्चतर बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी।
9. इच्छुक बोलीदाता(ओं) की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम व शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें
10. ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। जिसका विवरण बैंकनेट पोर्टल पर उपलब्ध है।
11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल पते/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत)
12. सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत), जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर, उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (विविध-एनपीए / SARFAESI / नीलामी से संबंधित खाता संख्या -829700317118A), (IFSC Code- PUNB0829700) के पक्ष में देय होगा। निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक में जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी / बिक्री आयोजित करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता का जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा
14. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री मूल्य का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा और सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75%/बोली राशि की पूर्ण जमा राशि जमा करते समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न पाई जाएं, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
16. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
17. संपत्तियां ''जहां है जैसी है'' और ''जो है जैसी है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेची जा रही हैं।
18. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
19. बोली लगाने से पहले संपत्ति और विनिर्देशों का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता, दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण करेगा।
20. पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक बकाया/परिचर शुल्क/अन्य बकाया राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
21. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक, बैंक को ज्ञात न होने वाली संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे अपने संपत्ति पर भार, जैसे वैधानिक देनदारियाँ, संपत्ति कर का बकाया, बिजली का बिल आदि, के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछताछ करें।
22. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यवधान/आकस्मिकता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
23. बैंक एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, स्वयं बोली लगा सकता है और नीलामी में भाग ले सकता है।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in

SARFAESI अधिनियम के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

दिनांक: 04.8.2026
स्थान: पटना

नोट: विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक